बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 427302 पटना, दिनांक- 04/06/2019

ग्रा0वि0- 07(सा0वा0)-01/2015

प्रेषक,

सी०पी० खण्डूजा,

आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार ।

विषय:- वर्ष 2019-20 में मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी योजनाओं का लक्ष्य एवं क्रियान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सामाजिक वानिकी कार्य मुजफ्फरपुर मॉडल के आधार पर विभाग द्वारा निर्गत SoP के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है । बिहार विकास मिशन के निर्णय के अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़को के दोनो किनारे 5 कि0मी0 की कम लम्बाई की सड़कों पर वृक्षारोपण कार्य मनरेगा अंतर्गत किया जाना है। इससे संबंधित सूचि और निदेश पत्रांक 425927, दिनांक- 27.05.2019 द्वारा निर्गत किये गये है। मुख्य सचिव स्तर पर दिनांक 28.05.2019/ 30.05.2019 को हुई समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि निजी भूमि एवं जल संरक्षण/संचयन संबंधित संरचनाओं के किनारे पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाय। मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यो के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग के सड़को के अतिरिक्त अन्य सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं नहरतट, नदी तट के किनारे वृक्षारोपण करने के पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

2. वृक्षारोपण योजनाएँ की सफलता के लिए उनका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन अनिवार्य है। श्रम बजट तैयार करने के क्रम में ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं जिनको Self of project में सम्मलित किया जा चुका है एवं जिनमें संबंधित वनपोषकों (निजी भूमी की योजनाओं सहित) का चयन किया जा चुका है, उनकी तैयारी अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाय। ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाएँ एवं निजी लाभुकों से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर संबंधित वृक्षारोपण योजनाओं को सूचिबद्ध कर लिया जाय और 12.06.2019 तक विशेष ग्राम सभा बुलाकर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

3. जिला स्तरीय वृक्षारोपण की कार्य योजना तैयार करने के लिए मनरेगा के EE/AE Nodal पदाधिकारी होगें। वे प्रखण्ड स्तरीय योजना तैयार करने के लिए संबंधित P.O, JE, PTA एवं PRS का सहयोग प्राप्त कर कार्य योजना बनवाना सुनिश्चित करेगें। जिलावार कार्य योजना का सारांश दिनांक 20.06.2019 तक विभाग में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

4. निजी भूमि पर वृक्षारोपण से संबंधित आवेदन प्राप्त करने के लिये जीविका का भी सहयोग लिया जाय। इस संबंध में इस पत्र की प्रति जीविका को भी उपलब्ध करायी जा रही है। समन्वय

स्थापित करने के लिये जिला स्तर पर जीविका के DPM, BPM एवं मनरेगा PO की बैठक यथाशीध्र निर्धारित करते हुए आवश्यक विर्मश एवं निदेश निर्गत किये जाय, इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय। इसका सतत् अनुश्रवण कर सुनिश्चित किया जाय कि जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को कार्ययोजना में शामिल किया जाय।

5. निजी भूमि पर पूर्व की भांति केवल फलदार पौधे भी लगाये जा सकते हैा फलदार पौधों अंतर्गत आम, लिची, जामुन, कठहल, आंवला, बेल, निंबू, अमरूद आदि का चुनाव स्थल विशेष की जलवायु और मृदा के आधार पर किया जाय। लाभुकों की पसंद का भी ख्याल रखा जाय। फलों के बिक्री जीविका के Producer Groups के माध्यम से करने में सहुलियत के लिए प्रखण्ड अथवा जिला स्तर पर एक या दो पौधों के पौधा रोपण करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

6. जल संरक्षण/संचयन की संरचनाओं के किनारे वृक्षारोपण के लिये जामुन प्रजाति के पौधों का रोपण श्रेयकर होगा। अन्य फलदार पौधे भी लगाये जा सकते है।

7. वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण संबंधी कार्यो को ससमय पूर्ण करने के निमित समय सारणी एवं वांछित क्रियाकलापों को निम्नवत् तालिका में अंकित किया जा रहा है ।

वृक्षारोपण संबंधित गतिविधी	**Self of project में पूर्व से शामिल योजनाओं के लिए**	**ग्रामीण कार्य विभाग की सड़को के किनारे एवं अन्य नई योजनाओं के लिए**
• विशेष ग्राम सभा	-	12.06.2019
• वृक्षारोपण कार्यो कि वर्ष 2019-20 कार्य योजना तैयार करना	08.06.2019	15.06.2019
• वनपोषकों / लाभुकों को प्रशिक्षण • कार्य प्रारंभ का आदेश	10.06.2019	20.06.2019
• आवश्यकता अनुसार पौधे की प्रजाति का चुनाव एवं उपलब्धता हेतु पौधशाला चिन्हित करने का कार्य	13.06.2019	23.06.2019
• सर्वे एवं स्थल सफाई, कीटनाशक का क्रय	15.06.2019	25.06.2019
• आवश्यकता अनुसार Tree Guard मिट्टी का घड़ा, ट्राली, चापाकल, जैविक खाद्य आदि की व्यवस्था	25.06.2019	
• गड्ढो को मृदा, फार्म यार्ड खाद्य और कीटनाशक के मिश्रण से भरना	20.06.2019	30.06.2019
• पौधे की ढुलाई एवं पौधारोपण कार्य • Tree Guard लगाना एवं चापाकल लगाना • पटवन, कोड़नी एवं निकौनी	वर्षा प्रारंभ होने से वृक्षारोपण प्रारम्भ करते हुए सभी स्थलों पर 15.08.2019 तक वृक्षारोपण पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। वर्ष 2018 की तर्ज पर वन महोत्सव-सह-वृक्षारोपण	

	अभियान के दौरान अधिक से अधिक स्थलों पर वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इससे संबंधित तिथि अलग से संसूचित की जायेगी।
• मृत पौधों का बदलाव	वृक्षारोपण पूर्ण होने से 5 वर्षों तक प्रत्येक माह निर्धारित शैडयूल अनुसार संपोषन संबंधित कार्य सम्पन्न करते हुए वनपोषकों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाय।
• कोड़नी, निकौनी, पटवन प्रत्येक माह	
• खाद्य, कीटनाशक का उपयोग	
• सुरक्षा कार्य	
• उत्तरजीविता गणना	

8. वर्ष 2019-20 में किये जाने वाले वृक्षारोपण में पूर्व में निर्गत SoP के साथ संलग्न मॉडल प्राक्कलन एवं विभागीय पत्र संख्या 239166 दिनांक 22.07.2015, पत्रांक 2871321 दिनांक 10.05.2016 एवं पत्रांक 372802 दिनांक 02.06.2018 के प्रावधानों को निम्न संशोधनों के साथ लागू किया जाय:-

i. पिछले वर्ष की तरह वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान जुलाई/अगस्त माह में सम्भावित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से तिथि निर्धारित होने पर अलग से संसूचित किया जायेगा।

ii. सभी वृक्षारोपण कार्य मानसून आगमन से प्रारम्भ कर 15 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाए ।

iii. पौधों की उँचाई कम-से-कम 3 फीट हो और यदि संभव हो तो 4/5 फीट का पौधा प्राप्त करने का प्रयास किया जाए ।

iv. Road Side वृक्षारोपण सड़क के दोनों तरफ किया जायेगा और कम-से-कम दो यूनिट (400 पौधे) कलस्टर के रूप में लिए जायें और अन्य निर्देश पत्रांक 425927 दिनांक- 27.05.2019 अनुसार लागू होगें। उक्त पत्र में अंकित RWD की सड़कों के अतिरिक्ति अन्य सड़कों पर वृक्षारोपण के लिए संबंधित विभाग का NOC अनिवार्य होगा।

v. नहरतट और नदीतट बांध पर भी कम-से-कम दो यूनिट (400 पौधे) का कलस्टर लिया जाय एवं पौधों की दूरी 3 मीटर X 3 मीटर रहेगी । संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा ।

vi. निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जानी है। अनुमान्य श्रेणी के व्यक्तियों Schedule-1 Para- 4(II) के निजी भूमि पर खण्ड वृक्षारोपण की स्थिति में पौधों की आपसी दूरी कम से कम 4 मीटर X 4 मीटर और खेत की मेढ़ पर वृक्षारोपण में पौधों की आपसी दूरी 3 मीटर X 3 मीटर की दूरी रखी जायेगी । निजी भूमि पर वृक्षारोपण में किसी व्यक्ति के पास वृक्षारोपण की इकाई (200 पौधों) हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने पर 2 अथवा 3 परिवारों की भूमि के कलस्टर में भी कम से कम एक इकाई (200 पौधें) लगाये जा सकते हैं । निजी भूमि पर केवल फलदार पौधें भी लगाये जा सकते है जिसके लिए गड्डे का साईज

vii. **बांस गैबियन-** सभी प्रकार के वृक्षारोपण (निजी भूमि सहित) बॉस गेबियन अनुमान्य होगा । बांस गैबियन पर अधिकतम 400.00 रूपये की दर से व्यय अनुमान्य होगा और इसका साईज न्यूनतम 2 फीट X 2 फीट X 4 फीट (Above Ground) होना आवश्यक है ।

viii. **पौधों के पटवन की व्यवस्था** :- वर्तमान में पौधों के पटवन की व्यवस्था हेतु ट्राली अथवा चापाकल में से किसी एक विकल्प का प्रावधान प्राक्कलन में लिया जा सकता है। इस संबंध में CFT ब्लॉक में कार्यरत जीविका एवं प्रदान के दल द्वारा सुझाव दिया गया है कि चापाकल की व्यवस्था करने पर भी बहुत से स्थलों पर पटवन हेतु ट्राली की आवश्यकता पड़ती है । इसलिये सुझाव दिया गया है कि घड़े के प्रावधान और ट्राली के प्रावधान में से किसी एक का विकल्प आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। इसके आलोक में पटवन हेतु प्रावधानों को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

(क) **ट्राली-सह-पानी की टंकी / घड़े का प्रावधान-** इन दोनो में से किसी एक विकल्प को प्राकल्लन में आवश्यकतानुसार सम्मलित किया जा सकता है। सरकारी अथवा सामुदायिक भूमि पर कम से कम दो इकाईयों पर एक ट्राली-सह-पानी की टंकी का प्रावधान किया जा सकता है। निजी भूमि के मामले में यदि कलस्टर में (200 मीटर की दूरी के अंदर) दो इकाईयॉ उपलब्ध नही हो ता वैसी परिस्थिति में एक इकाई पर भी ट्राली-सह-पानी की टंकी का प्रावधान किया जा सकता है। इसके लिये दर पूर्ववत् रहेगी।

(ख) **चापाकल का प्रावधान:-** दक्षिण बिहार के लिये चापाकल की दर एवं मार्ग निदेश विभागीय पत्रांक 416266, दिनांक- 11.03.2019 से निर्गत किये गये है। इसके आलोक में उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के संदर्भ में चापाकल/ट्राली निम्न प्रकार से रहेगें:-

- **<u>उत्तर बिहार:-</u>** सरकारी अथवा सामुदायिक भूमि पर दो इकाईयों पर एक चापाकल की व्यवस्था की जा सकती है। निजी भूमि के मामले में यदि कलस्टर में (200 मीटर की दूरी के अंदर) दो इकाईयों उपलब्ध नही हो तो वैसी परिस्थिती में एक इकाई पर भी एक चापाकल एवं ट्राली सह पानी टंकी का प्रावधान किया जा सकता है । इनके दर पूर्ववत रहेगें।
- **<u>दक्षिण बिहार:-</u>** विभागीय पत्रांक 416266, दिनांक- 11.03.2019 के अनुसार कार्रवाई अपेक्षित है। हस्तचालित चापाकल (21,800/-) के उपर्युक्त पाये जाने के स्थिति में सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण की दो इकाईयों पर एक हस्तचालित चापाकल लगाना उपयुक्त होगा तो विभागीय पत्रांक 372802 दिनांक 02.06.2018 में निहित प्रावधान के अनुरूप सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण की दो इकाईयों के विरूद्ध एक हस्तचालित चापाकल का प्रावधान किया जा सकता है एवं निजी भूमि के मामले में यदि दो इकाई का क्लस्टर (200 मीटर की दूरी के अंदर उपलब्ध) हो तो उन दो इकाईयों के लिए एक चापाकल का प्रावधान किया जा सकता है । निजी भूमि पर क्लस्टर की अनुपलब्धता की स्थिति में एक इकाई पर भी एक चापाकल का प्रावधान किया जा सकता है । इस तरह के हस्तचालित चापाकल की स्वीकृत संशोधित प्राक्कलित राशि 21,800/- रूपये है । यदि मनरेगा कार्यपालक अभियंता तकनीकी जॉच में यह पाते है कि हस्तचालित विधि से लगाये जाने वाले चापाकल

व्यवहारिक स्तर पर सफल एवं उपयुक्त नहीं हो सकेंगे तो उनके द्वारा निर्गत इस आशय के प्रमाण-पत्र के आधार पर **Reverse Circular Method** के दो विकल्पों (45 मीटर **Gravel Packed**) स्वीकृत प्राक्कलित राशि 55,200/- रूपये अथवा (70 मीटर गहरा ड्रील) स्वीकृत प्राक्कलित राशि 47,050/- रूपये में से किसी एक विकल्प का प्रयोग कर चापाकल लगाया जा सकता है । परन्तु, सरकारी भूमि पर कम से कम पॉच इकाईयों के लिए एवं निजी भूमि पर कलस्टर में पॉच इकाईयॉ होने पर ही इन दोनों विकल्पों मे से किसी एक का चयन किया जा सकता है ।

ix. विभागीय पत्रांक 372802 दिनांक 02.06.2018 द्वारा निर्गत पौधा की उत्तरजीविता के आधार पर वनपोषकों के मजदुरी भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:- 200 पौधों की इकाई के लिए वर्तमान मजदूरी दर 177/- रूपये के आधार पर सम्पूर्ण बिहार के लिए 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक उत्तरजीविता होने पर 8 मानव दिवस अर्थात 1416.00 रूपये, 70 प्रतिशत से 79 से अधिक प्रतिशत तक उत्तरजीविता रहने पर 7 मानव दिवस अर्थात 1239.00 रूपये, 60 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक उत्तरजीविता रहने पर 6 मानव दिवस अर्थात 1062.00 रूपये, 50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक उत्तरजीविता रहने पर 5 मानव दिवस अर्थात 885.00 रूपये एवं 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक उत्तरजीविता रहने पर 4 मानव दिवस अर्थात 708.00 रूपये अनुमान्य होंगे । 40 प्रतिशत से कम उत्तरजीविता होने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

x. **<u>मृत पौधों का बदलाव:-</u>** CFT/प्रदान से सुझाव के आलोक में बेहतर उत्तरजीविता बनाये रखने के दृष्टिकोण से प्राक्कलन में निम्न संशोधन किये जाय:-

- प्रथम वर्ष (जिस वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण हुआ हो) में मृत पौधों के बदलाब के लिए योजना में पौधों की संख्या के 10% की राशि का प्रावधान किया जाय।
- द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण वर्ष के पश्चात के वित्तीय वर्ष) में भी मृत पौधों के बदलाब के लिए योजना में पौधों की संख्या के 10% की राशि का प्रावधान किया जाय।

xi. वनपोषको को अधिक से अधिक मजदूरी मिल सके इसके लिये आवश्यक होगा कि उत्तरजीविता 80 प्रतिशत से अधिक हो। प्रशिक्षण के दौरान इस पर विशष ध्यान दिया जाय और वनपोषकों का पौधों की सही देखभाल, समय पर पटवन, पौधों की इकौनी, ट्री गार्ड (आवश्यकतानुसार) को सुरक्षित रखने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाय। पौधों की मृत्यु की स्थिति से उनका बदलाव उचित समय पर करने से वनपोषको को बेहतर मजदूरी प्राप्त हो सकता है साथ ही मनरेगा कर्मियों का विशेष दायित्व होगा की वह मास्टर चक्र अनुसार पाक्षिक रूप से उत्तरजीविता का आंकलन करते हुए ससमय मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करे ताकि वनपोषकों की अभिरूची वृक्षारोपण में बनी रहें एवं वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित किया जा सके। 20% तक मृत पौधों के बदलाव का प्रावधान प्राकक्लन में उकत कंडिका (x) अनुसार किया जाना है। इससे अधिक पौधों की मृत्यु की स्थिति में वनपोषको की स्वंय पौधों का बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ताकि उन्हे अधिक से अधिक मजदूरी मिल सके।

xii. पूर्व की भांती सार्वजनिक/सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण में एक इकाई पर दो वनपोषक अनुमान्य होगें एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण की एक इकाई पर एक वन पोषक अनुमान्य होगें । निजी भूमि पर 2 या 3 लाभार्थियों की भूमि पर वृक्षारोपण होने पर पौधों की संख्या के अनुपात में वन पोषक की राशि अनुमान्य होगी ।

xiii. गड्ढ़ों की खुदाई की यथावत निम्न प्रकार होगी:-

- 60cmX60cmX60cm सहित के 200 गड्ढ़ों के लिए 7 मानव दिवस अथवा 1239 रूपये ।
- 30cmX30cmX30cm साईज के 200 गड्ढ़ों के लिए 1 मानव दिवस अथवा 177 रूपये ।
- गड्डा खुदाई पर व्यय मजदूरी के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय।

xiv. स्तुप बनाने की दर निम्न प्रकार होगी (मजदूरी मद में) :-

Base Diameter x Height x Top Diameter	**ईकाई**	**मानव दिवस**
1.8 मी० x 0.60 मी० x 0.6 मी० सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.29
आकार 2.1 मी० x 0.75 मी० x 0.6 मी० सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.46
आकार 2.6 मी० x 1.0 मी० x 0.6 मी० सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.89

xv. फैसिलिटेटर के माध्यम से कार्य करवाये जाने के संबंध में उप विकास आयुक्त निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

9. सामाजिक वानिकी कार्यान्वयन के संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक 222119 दिनांक 25.02.2015, पत्रांक 239166 दिनांक 22.07.2015 एवं 372802, दिनांक 02.06.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का उपरोक्त संशोधन के साथ अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए ।

10. वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण कार्यो की तैयारी एवं कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण के लिए प्रपत्र- A,B,C/2019-20 संलग्न किया जा रहा है । अपने स्तर से मासिक बैठक में प्रगति की समीक्षा उपरांत प्रखंडवार सूचनाऐं जुलाई माह से प्रत्येक माह की 08 तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायी जाए ।

अत: उपरोक्त अनुसार सामाजिक वानिकी की प्रखण्डवार और पंचायतवार कार्ययोजना वर्ष 2019-20 दिनांक 20.06.2018 तक उपलब्ध करा दी जाए एवं वृक्षारोपण संबंधित कार्यो का निर्धारित समय सीमा के अनुसार सम्पादन कराना सुनिश्चित किया जाए । सभी वृक्षारोपण कार्य 15.08.2019 तक पूर्ण कर ली जाए । मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह को 08 तारीख को विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
04.06.19.
(सी०पी० खण्डूजा)
आयुक्त मनरेगा